

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 134/2025

दायर दिनांक: 08.09.2025

उनवान

1. रामचन्द्र आयु 75 वर्ष पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
2. देवकीनन्दन आयु 49 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
3. जयेश आयु 20 वर्ष पुत्र देवकीनन्दन जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
4. नन्दकिशोर आयु 70 वर्ष पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
5. नरेन्द्र कुमार आयु 42 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र कुमार आयु 58 वर्ष पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
2. निर्मल कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र महेन्द्र कुमार जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
3. जमनालाल आयु 65 वर्ष पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
4. मनोज कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
5. बृजमोहन आयु 55 वर्ष पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर


निर्णय

दिनांक 13.11.2025

वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 52 का खसरा नं. 448 का रकबा 2.41 है0 कुल किता 1 का रकबा 2.41 हैक्टर आराजी स्थित है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। वाके ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 59 का खसरा नं. 371 का रकबा 1.89 है0,

खसरा नं. 373/692 का रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 463 का रकबा 1.12 है0 कुल किता 3 का रकबा 3.11 हैक्टर आराजी स्थित है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 – 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। वाके ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा तह. अटरु जिला बारां की आराजी खाता संख्या 100 का खसरा नं. 133 का रकबा 3.27 है0 कुल किता 1 का रकबा 3.27 हैक्टर आराजी स्थित है जो शामलाती खाते की आराजी है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। वाके ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा तहसील अटरु जिला बारां की आराजी खाता संख्या 101 का खसरा नं. 434 का रकबा 2.26 है0 कुल किता 1—का रकबा 2.26 हैक्टर आराजी स्थित है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 – 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। वाके ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा तहसील अटरु जिला बारां की आराजी खाता संख्या 156 का खसरा नं. 431 का रकबा 1.19 है0, खसरा नं. 433 का रकबा 1.75 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.94 हैक्टर आराजी स्थित है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। वाके ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा तहसील अटरु जिला बारां की आराजी खाता संख्या 157 का खसरा नं: 129 का रकबा 3.66 है0 कुल किता 1 का रकबा 3.66 हैक्टर आराजी स्थित है जो शामलाती खाते की आराजी है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। वाके ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा तहसील अटरु जिला बारां की आराजी खाता संख्या 158 का खसरा नं. 313 का रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 314 का रकबा 0.52 है0, ख.नं. 315 का रकबा 0.66 है0, ख.नं. 316 का रकबा 0.05 है0, ख.नं. 317 का रकबा 0.14 है0, ख.नं. 563 का रकबा 0.19 है0, खसरा नं. 609 का रकबा 1.20 है0 कुल किता 7 का रकबा 2.88 हैक्टर आराजी स्थित है जो शामलाती खाते की आराजी है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 – 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है—



वाद पत्र की मद नं. 1 ता 7 में वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के कब्जे काशत व स्वामित्व की आराजी है जो कि पैतृक संपत्ति है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने वाद पत्र की मद नं. 1 ता 7 में वर्णित आराजीयात का आपसी सहमति से पारिवारिक बँटवारा कर रखा है तथा पारिवारिक बंटवारे के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 अपने-अपने हिस्से की आराजी को कब्जा काशत करते चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 द्वारा वाद पत्र की मद नं. 1 ता 7 में वर्णित आराजी का मौके पर पारिवारिक बँटवारा निम्न प्रकार से कर रखा है –

रामचन्द्र के हिस्से व कब्जे काशत में –

खाता संख्या 59 का खसरा नं. 463 का रकबा 1.12 हैक्टर

देवकीनन्दन के हिस्से व कब्जे काशत में –

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 314 का रकबा 0.16 है० (उत्तर दिशा)

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 563 का रकबा 0.09 है० (पश्चिम दिशा)

जयेश के हिस्से व कब्जे काशत में –

खाता संख्या 157 का खसरा नं. 129 का रकबा 0.32 है० (दक्षिण दिशा)

नन्दकिशोर के हिस्से व कब्जे काशत में –

खाता संख्या 100 का खसरा नं. 133 का रकबा 2.73 है० (उत्तर दिशा)

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 609 का रकबा 1.20 है०

नरेन्द्र कुमार के हिस्से व कब्जे काशत में –

खाता संख्या 100 का खसरा नं. 133 का रकबा 0.54 है० (दक्षिण दिशा)

महेन्द्र कुमार के हिस्से व कब्जे काशत में –

खाता संख्या 52 का खसरा नं. 448 का रकबा 2.41 है०

खाता संख्या 101 का खसरा नं. 434 का रकबा 0.80 है० (पूर्व दिशा)

निर्मल कुमार के हिस्से व कब्जे काशत में –

खाता संख्या 156 का खसरा नं. 431 का रकबा 1.19 है०

जमनालाल के हिस्से व कब्जे काशत में –

खाता संख्या 59 का खसरा नं. 371 का रकबा 1.00 है० (पश्चिम दिशा)

खाता संख्या 157 का खसरा नं. 129 का रकबा 3.34 है० (उत्तर दिशा)

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 563 का रकबा 0.10 है० (पूर्व दिशा)

मनोज कुमार के हिस्से व कब्जे काशत में –

खाता संख्या 101 का खसरा नं. 434 का रकबा 1.46 है0 (पश्चिम दिशा)

खाता संख्या 156 का खसरा नं. 433 का रकबा 1.75 हैक्टर

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 313 का रकबा 0.12 हैक्टर

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 314 का रकबा 0.36 है0 (दक्षिण दिशा)

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 315 का रकबा 0.66 हैक्टर

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 316 का रकबा 0.05 हैक्टर

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 317 का रकबा 0.14 हैक्टर

बृजमोहन के हिस्से व कब्जे काशत में –

खाता संख्या 59 का खसरा नं. 371 का रकबा 0.89 है0 (पूर्व दिशा)

खाता संख्या 59 का खसरा नं. 373/692 का रकबा 0.10 हैक्टर

वाद पत्र की मद नं. 1 ता 7 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन पारिवारिक बंटवारे व कब्जे तथा हिस्से अनुसार नहीं होने से वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के मध्य भूमि को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए दिनांक 10/08/2025 को वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 से पारिवारिक बंटवारे व हिस्से व कब्जे अनुसार वाद पत्र की मद नं. 1 ता 7 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 ने आराजी का खाता विभाजन करवाने से साफ इनकार कर दिया और लड़ाई झगडे पर आमादा हुए और आराजी को खुर्द-बुर्द करने की धमकी दी, तब वादीगण ने दिनांक 14/08/2025 से प्रतिवादी क्रम 6 से आराजी का खाता विभाजन करने हेतु निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में वाद दायर करने की हिदायत दी। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं. 1 ता 5 का बंटवारा किया जाना व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 को उनके अवैध कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है। अस्तु वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा कराने के अधिकारी है कि वाद पत्र की मद नं. 1 ता 5 में वर्णित आराजी का वाद पत्र की मद नं. 9 में वर्णित पारिवारिक बंटवारे व कब्जे अनुसार खाता विभाजन करके वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से अंकन कर प्रतिवादीगण को जर्जे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 वाद पत्र की मद नं. 1 ता 7 में वर्णित भूमि का पारिवारिक बंटवारे अनुसार खाता विभाजन करवाकर वादीगण के खाते दर्ज करवाये बिना आराजी को रहन बेचान व खुर्द बुर्द नहीं करे, ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी क्रम 6 बनाया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 10/08/2025 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 से आराजी का खाता विभाजन करवाने की कहने पर उनके द्वारा मना कर लड़ाई-झगडे पर आमादा होने पर व अंतिम बार दिनांक

14/08/2025 को श्रीमान तहसीलदार साहब से आराजी का विभाजन कर पृथक से खाते दर्ज करने की कहने पर उनके द्वारा न्यायालय में वाद दायर करने की हिदायत देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र ने बमुकाम उत्पन्न हुआ। वादग्रस्त आराजी ग्राम नृसिंहपुरा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है ।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जाए ।

(अ) कि वाद पत्र की मद न. 1 ता 7 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन वाद पत्र की मद न. 9 में वर्णित पारिवारिक बंटवारे व कब्जे अनुसार करके वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 को आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी में आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पृथक से खाते दर्ज की जावे। इस हेतु प्रतिवादी क्रम 6 को आदेश प्रदान किया जाए।

(ब) कि प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाए वह वाद पत्र की मद न. 1 ता 7 में वर्णित आराजी का पारिवारिक बंटवारे अनुसार खाला पृथक करवाये बिना आराजी को कहीं रहन बेचान नहीं करे तथा रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

(स) कि वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 द्वारा इकबाली जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 2 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 3 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 4 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 5 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 6 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 7 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 8 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 9 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 10 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 11 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 12 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 13 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 14 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 15 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 16 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 16 कानूनी है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद पत्र की मद नं. 9 में वर्णित पारिवारिक बंटवारे व कब्जे अनुसार आराजी का खाता विभाजन करके

आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पृथक से खाते दर्ज की जाकर वाद डिक्री किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 को कोई आपत्ति नहीं है।

अभिभाषक वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार बटवारे का निवेदन किया। अभिभाषकगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में जैरकार है। उक्त वाद में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है जो कि निम्न प्रकार से है—

रामचन्द्र के हिस्से व कब्जे काश्त में —

खाता संख्या 59 का खसरा नं. 463 का रकबा 1.12 हैक्टर

देवकीनन्दन के हिस्से व कब्जे काश्त में —

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 314 का रकबा 0.16 है० (उत्तर दिशा)

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 563 का रकबा 0.09 है०

जयेश के हिस्से व कब्जे काश्त में —

खाता संख्या 157 का खसरा नं. 129 का रकबा 0.32 है० (दक्षिण दिशा)

नन्दकिशोर के हिस्से व कब्जे काश्त में —

खाता संख्या 100 का खसरा नं. 133 का रकबा 2.73 है० (उत्तर दिशा)

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 609 का रकबा 1.20 है०

नरेन्द्र कुमार के हिस्से व कब्जे काश्त में —

खाता संख्या 100 का खसरा नं. 133 का रकबा 0.54 है० (दक्षिण दिशा)

महेन्द्र कुमार के हिस्से व कब्जे काश्त में —

खाता संख्या 52 का खसरा नं. 448 का रकबा 2.41 है०

खाता संख्या 101 का खसरा नं. 434 का रकबा 0.80 है० (पूर्व दिशा)

निर्मल कुमार के हिस्से व कब्जे काश्त में —

खाता संख्या 156 का खसरा नं. 431 का रकबा 1.19 है०

जमनालाल के हिस्से व कब्जे काश्त में —

खाता संख्या 59 का खसरा नं. 371 का रकबा 1.00 है० (पश्चिम दिशा)

खाता संख्या 157 का खसरा नं. 129 का रकबा 3.34 है० (उत्तर दिशा)

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 563 का रकबा 0.10 है० (पूर्व दिशा)

मनोज कुमार के हिस्से व कब्जे काश्त में —

खाता संख्या 101 का खसरा नं. 434 का रकबा 1.46 है० (पश्चिम दिशा)

खाता संख्या 156 का खसरा नं. 433 का रकबा 1.75 हैक्टर

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 313 का रकबा 0.12 हैक्टर

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 314 का रकबा 0.36 है0 (दक्षिण दिशा)

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 315 का रकबा 0.66 हैक्टर

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 316 का रकबा 0.05 हैक्टर

खाता संख्या 158 का खसरा नं. 317 का रकबा 0.14 हैक्टर

बृजमोहन के हिस्से व कब्जे काश्त में –

खाता संख्या 59 का खसरा नं. 371 का रकबा 0.89 है0 (पूर्व दिशा)

खाता संख्या 59 का खसरा नं. 373/692 का रकबा 0.10 हैक्टर

वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 को वाद पत्र में वर्णित आराजी में उपरोक्त अनुसार राजीनामा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक कर वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पक्ष में राजीनामा अनुसार डिक्री पारित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

राजीनामा न्यायालय में पढकर सुनाया गया जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान श्री महावीर प्रसाद नागर एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 की पहचान श्री भीमराज नागर एड0 द्वारा की गई। राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया। वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 ने स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर सहमति हस्ताक्षर किये।

अभिभाषक वादीगण एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 ता 35 की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण द्वारा विवादित आराजी का राजीनामा अनुसार खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषकगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद के खाता संख्या 52 के ख0नं0 448 रकबा 2.41 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.41 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 3 (जमनालाल पुत्र नृसिंहलाल) हिस्सा पूर्ण जाति धाकड सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद के खाता संख्या 59 के ख0नं0 371 रकबा 1.89 है0, ख0नं0 373/662 रकबा 0.10 है0 व ख0नं0 463 रकबा 1.12 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.11 है0 आराजी वादी क्रम 4 (नन्दकिशोर पुत्र नृसिंहलाल) हिस्सा पूर्ण जाति धाकड सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड स्थित है। ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद के खाता संख्या 100 के ख0नं0 133

रकबा 3.27 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 3.27 है आराजी वादी क्रम 2 (देवकीनन्द पुत्र रामचन्द्र), वादी क्रम 4 (नरेन्द्रकुमार पुत्र नन्दकिशोर), प्रतिवादी क्रम 1 (महेन्द्र कुमार पुत्र नृसिंहलाल) प्रतिवादी क्रम 2 (निर्मल कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार), प्रतिवादी क्रम 3 (जमनालाल पुत्र नृसिंहलाल) व प्रतिवादी क्रम 5 (बृजमोहन पुत्र नृसिंहलाल) के हिस्सा 1/6 प्रत्येक शामलाती खाते दर्ज है। ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद के खाता संख्या 101 के ख0नं0 434 रकबा 2.26 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.26 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 (महेन्द्र कुमार पुत्र नृसिंहलाल) हिस्सा पूर्ण जाति धाकड सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड स्थित है। ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद के खाता संख्या 156 के ख0नं0 431 रकबा 1.19 है0 व ख. नं. 433 रकबा 1.75 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.94 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 4 (मनोज कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द) हिस्सा पूर्ण जाति धाकड सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड स्थित है। ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद के खाता संख्या 157 के ख0नं0 129 रकबा 3.66 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 3.66 है0 आराजी वादी क्रम 1 (रामचन्द्र पुत्र नृसिंहलाल हिस्सा 41/365), वादी क्रम 3 (जयेश पुत्र देवकीनन्दन हिस्सा 32/365), वादी क्रम 4 (नन्दकिशोर पुत्र नृसिंहलाल हिस्सा 1/5) प्रतिवादी क्रम 1 (महेन्द्र कुमार पुत्र नृसिंहलाल हिस्सा 1/5), प्रतिवादी क्रम 3 (जमनालाल पुत्र नृसिंहलाल हिस्सा 1/5) व प्रतिवादी क्रम 4 (मनोज कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द हिस्सा 1/5) खाते दर्ज रिकार्ड स्थित है। ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद के खाता संख्या 158 के खसरा नं. 313 का रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 314 का रकबा 0.52 है0, ख.नं. 315 का रकबा 0.66 है0, ख.नं. 316 का रकबा 0.05 है0, ख.नं. 317 का रकबा 0.14 है0, ख.नं. 563 का रकबा 0.19 है0, खसरा नं. 609 का रकबा 1.20 है0 कुल किता 7 का रकबा 2.88 है0 आराजी वादी क्रम 1 रामचन्द्र पुत्र नृसिंहलाल, वादी क्रम 4 नन्दकिशोर पुत्र नृसिंहलाल, प्रतिवादी क्रम 1 महेन्द्र कुमार पुत्र नृसिंहलाल, प्रतिवादी क्रम 3 जमनालाल पुत्र नृसिंहलाल, प्रतिवादी क्रम 4 मनोज कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द व प्रतिवादी क्रम 5 बृजमोहन पुत्र नृसिंहलाल हिस्सा 1/6 प्रत्येक शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है।

श्रीमान शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक: प. 5(1)राज-6/97/10 दिनांक 08.09.1997 व पत्रांक: प.5 (1) राज-6/97/15 दिनांक 02.09.2000 के अनुसार सहखातेदारों में विभाजन की सहमति होने पर सहमति के आधार पर ही डिक्री की जायेगी।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं आपसी सहमति से पेश राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 आर.टी. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण व पेश राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 59 के खसरा नं0 463 का रकबा 1.12 है0 आराजी वादी क्रम 1 रामचन्द्र पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 158 के खसरा नं0 314 का रकबा 0.16 है0 उत्तर दिशा व ख0नं0 563 का रकबा 0.09 है0 वादी क्रम 2 देवकीनन्दन पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 157 के खसरा नं0 129 का रकबा 0.32 है0 दक्षिण दिशा आराजी वादी क्रम 3 जयेश पुत्र देवकीनन्दन जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 100 के ख0नं0 133 का रकबा 2.73 है0 उत्तर दिशा व खाता संख्या 158 का ख0नं0 609 का रकबा 1.20 है0 आराजी वादी क्रम 4 नन्दकिशोर पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 100 के ख0नं0 133 का रकबा 0.54 है0 दक्षिण दिशा की आराजी वादी क्रम 5 नरेन्द्र कुमार पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 52 का ख0नं0 448 का रकबा 2.41 है0 व खाता संख्या 101 का ख0नं0 434 का रकबा 0.80 है0 पूर्व दिशा की आराजी प्रतिवादी क्रम 1 महेन्द्र कुमार पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 156 का ख0नं0 431 का रकबा 1.19 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 2 निर्मल कुमार पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 59 का ख0नं0 371 का रकबा 1.00 है0 पश्चिम दिशा व खाता संख्या 157 का ख0नं0 129 का रकबा 3.34 है0 उत्तर दिशा व खाता संख्या 158 का ख0नं0 563 का रकबा 0.10 है0 पूर्व दिशा की आराजी प्रतिवादी क्रम 3 जमनालाल पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 101 का खसरा नं. 434 का रकबा 1.46 है0 (पश्चिम दिशा) व खाता संख्या 156 का खसरा नं. 433 का रकबा 1.75 हैक्टर, खाता संख्या 158 का खसरा नं. 313 का रकबा 0.12 हैक्टर, खाता संख्या 158 का खसरा नं. 314 का रकबा 0.36 है0 (दक्षिण दिशा), खाता संख्या 158 का खसरा नं. 315 का रकबा 0.66 हैक्टर, खाता संख्या 158 का खसरा नं. 316 का रकबा 0.05 हैक्टर व खाता संख्या 158 का खसरा नं. 317 का रकबा 0.14 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम 4 मनोज कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति धाकड निवासी

नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 59 का खसरा नं. 371 का रकबा 0.89 है0 (पूर्व दिशा) व खाता संख्या 59 का खसरा नं. 373/692 का रकबा 0.10 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम 5 बृजमोहन पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। गै0मु0 नाला, गै0मु0 नाली, गै0मु0खाल, गै0मु0 छतरी, गै0मु0रास्ता तथा भूमि की किस्म का नोट यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू बैंक के रहन की राशि पक्षकारों के द्वारा जमा करवाए जाने के पश्चात उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक **13.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री सुनील कुमार पीपलीवाल (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 134/2025

दायर दिनांक: 08.09.2025

उनवान

1. रामचन्द्र आयु 75 वर्ष पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
2. देवकीनन्दन आयु 49 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
3. जयेश आयु 20 वर्ष पुत्र देवकीनन्दन जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
4. नन्दकिशोर आयु 70 वर्ष पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
5. नरेन्द्र कुमार आयु 42 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र कुमार आयु 58 वर्ष पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
2. निर्मल कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र महेन्द्र कुमार जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
3. जमनालाल आयु 65 वर्ष पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
4. मनोज कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा
5. बृजमोहन आयु 55 वर्ष पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर. टी. एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 59 के खसरा नं0 463 का रकबा 1.12 है0 आराजी वादी क्रम 1 रामचन्द्र पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 158 के खसरा नं0 314 का रकबा 0.16 है0 उत्तर दिशा व ख0नं0 563 का रकबा 0.09 है0 वादी क्रम 2 देवकीनन्दन पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 157 के खसरा नं0 129 का रकबा 0.32 है0 दक्षिण दिशा आराजी वादी क्रम 3 जयेश पुत्र देवकीनन्दन जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 100 के ख0नं0 133 का रकबा 2.73 है0 उत्तर दिशा व खाता संख्या 158 का ख0नं0 609 का रकबा 1.20 है0 आराजी वादी क्रम 4 नन्दकिशोर पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 100 के

ख0नं0 133 का रकबा 0.54 है0 दक्षिण दिशा की आराजी वादी क्रम 5 नरेन्द्र कुमार पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 52 का ख0नं0 448 का रकबा 2.41 है0 व खाता संख्या 101 का ख0नं0 434 का रकबा 0.80 है0 पूर्व दिशा की आराजी प्रतिवादी क्रम 1 महेन्द्र कुमार पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 156 का ख0नं0 431 का रकबा 1.19 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 2 निर्मल कुमार पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 59 का ख0नं0 371 का रकबा 1.00 है0 पश्चिम दिशा व खाता संख्या 157 का ख0नं0 129 का रकबा 3.34 है0 उत्तर दिशा व खाता संख्या 158 का ख0नं0 563 का रकबा 0.10 है0 पूर्व दिशा की आराजी प्रतिवादी क्रम 3 जमनालाल पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 101 का खसरा नं. 434 का रकबा 1.46 है0 (पश्चिम दिशा) व खाता संख्या 156 का खसरा नं. 433 का रकबा 1.75 हैक्टर, खाता संख्या 158 का खसरा नं. 313 का रकबा 0.12 हैक्टर, खाता संख्या 158 का खसरा नं. 314 का रकबा 0.36 है0 (दक्षिण दिशा), खाता संख्या 158 का खसरा नं. 315 का रकबा 0.66 हैक्टर, खाता संख्या 158 का खसरा नं. 316 का रकबा 0.05 हैक्टर व खाता संख्या 158 का खसरा नं. 317 का रकबा 0.14 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम 4 मनोज कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 59 का खसरा नं. 371 का रकबा 0.89 है0 (पूर्व दिशा) व खाता संख्या 59 का खसरा नं. 373/692 का रकबा 0.10 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम 5 बृजमोहन पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा के नाम दर्ज की जावें। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। गै0मु0 नाला, गै0मु0 नाली, गै0मु0खाल, गै0मु0 छतरी, गै0मु0रास्ता तथा भूमि की किस्म का नोट यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू बैंक के रहन की राशि पक्षकारों के द्वारा जमा करवाए जाने के पश्चात उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....

..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 13.11.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

| मुदई | | मुदालयह | |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)